

SC 26  
24.1.14

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA  
(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C. No. \_\_\_\_\_ of 2014

Udaykant Jha -----Petitioner.

Versus

The State of Bihar and others ----Respondents.

Subject: - E.C. Act

I N D E X

<u>SL. No.</u>	<u>Particulars</u>	<u>Pages</u>
1.	An application Under Article 226 of the Constitution of India.	01- 8
2.	<u>Annexure- 1.</u> A photo copy of the order vide memo no. 3944-2 dated 08.11.2012.	9
3.	<u>Annexure- 2.</u> A photo copy of the reply to the show- cause dated 29.10.2012.	10 - 12
4.	<u>Annexure- 3 Series.</u> A photo copy of the receipt of month August and September.	13 - 15
5.	<u>Annexure- 4.</u> A photo copy of the reminder dated 26.12.2013.	16
6.	<u>VAKALATNAMA.</u>	

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C. No. \_\_\_\_\_ of 2014

Udaykant Jha -----Petitioner.

Versus

The State of Bihar and others ----Respondents.

Subject: - E.C. Act

S Y N O P S I S

For setting aside memo no. 3944-2 dated 08.11.2012 i.e. cancellation of P.D.S. licence no. 147/1990 by the S.D.O. Udakishunganj, District Madhepura and also direct to the appellate authority D.M. Madhepura order has been passed with statutory period.

08.11.2012 S.D.O. cancell the P.D.S. shop even on reply to the show- cause

## II

filed by the petitioner along with supporting documents i.e. prove alleged allegation denial with the documents.

15.11.2012 Petitioner filed before appeal before the D.M. Madhepura

26.12.2013 Again petitioner filed reminder vide Complain No. 70380.

No order has been passed.

Hence this writ petition.

GOVT. OF BIHAR  
REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT  
PATNA SCORE PATNA

COURT FEE

Authorization No 2676

भारत



सत्यमेव जयते  
INDIA

STAMP DUTY

00000

00000285

375464

बिहार  
JUDICIAL

20 1 2017

\*\*Zero\*Zero\*Zero\*Zero\*Two\*\*Eight Five\*\*

Through :- Kymon Ravi Sharma  
Advocate  
A.S.O. 10/10/17

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C. No. \_\_\_\_\_ of 2014

In the matter of an  
application Under  
Article 226 of the  
Constitution of India.

And

In the matter of;

Uday Kant Jha, Son of Late Damodar Jha,  
Resident of Village- Singarpur, Post Office-  
Mahua Barae, Police Station- Udakishunganj,  
District- Madhepura.

--Petitioner.

Versus

1. The State of Bihar, through the Principal Secretary, Food, Supply and Commerce Department, Old Secretariat, Patna.
2. The District cum Appellate Authority, District- Madhepura.
3. The S.D.O. cum Licensing authority, Udakishunganj, District- Madhepura.
4. The District Supply Officer, District- Madhepura.
5. The Block Supply Officer, Udakishunganj, District- Madhepura.

--Respondents.

To,

The Hon'ble Ms. Justice Rekha M. Doshit, the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and her Companion Justice of the said Hon'ble Court.

The humble petition on  
behalf of the petiti-  
oner above named;

**MOST RESPECTFULLY SHEWETH:**

1. That, this is an application for issuance of appropriate writ, rule or direction in the nature of certiorari to quash vide memo no. 3944-2 dated 08.11.2012 issued by the S.D.O. Udakishunganj, Sub-Division and in the nature of mandamus to direct the D.M. Madhepura passed the appropriate order which is pending and also direct the appellate authority to restore the P.D.S. shop vide licence no. 147 of 2007 of the petitioner.

A photo copy of the  
order vide memo no.  
3944-2 dated 8.11.2012  
is being annexed here-  
with and marked as

Annexure- 1 of the  
writ application.

2. That, the petitioner is citizen of India and resides well within the jurisdiction of this Hon'ble Court.
3. That, it is relevant to state here that the petitioner obtained P.D.S. licence from the authorities and since 1990 he performs the duties according to guideline of P.D.S. (Control) order 2001 unblamed.
4. That, it is relevant to state here that the other P.D.S. shop holder and competitor of the petitioner a false complaint filed before the authority and the S.D.O. asked the show- cause notice to the petitioner and the petitioner submit his reply to show- cause notice disclosed the all alleged charge against him and also submit relevant supporting documents but the Learned S.D.O. not pleased and in

connivance of the local competitor of the petitioner.

A photo copy of the reply to the show-cause dated 29.10.2012 is being annexed herewith and marked as Annexure- 2 of the writ application.

5. That, it is relevant to state here that some competitor allege the allegation that on the month of July Ration and K.oil not given to the consumer but in fact petitioner not received the Article of the said month but on month August and September 2012 distribute the food grains and K.oil to the all consumers.

A photo copy of the receipt of month August and September



is being annexed  
herewith and marked as  
Annexure- 3 Series of  
the writ application.

6. That, it is most relevant to state here that the Learned S.D.O. cancelled his license than petitioner filed an appeal before D.M. Madhepura on 15.11.2012 but his appeal is pending before the appellate authority and again petitioner filed reminder vide complain no. 70380 dated 26.12.2013.

A photo copy of the  
reminder dated  
26.12.2013 is being  
annexed herewith and  
marked as Annexure- 4  
of the writ applica-  
tion.

7. That, the petitioner has no efficacious alternative and speedy remedy except by way of this writ application.
8. That, the petitioner has not moved earlier before this Hon'ble Court on the matter.

It is therefore, prayed that your Lordships may graciously be pleased to admit this application, call for the records, issued notice to the parties and after hearing the parties allow this application or grant the relief claimed on para- 1 of the writ application.

**And / Or**

May pass such other order / orders as your Lordships may deem fit and proper.

**And for this the petitioner shall ever pray.**

Affidavit

I, Udaykant Jha, aged about 65 years, Son of Late Damodar Jha, Resident of Village-Singarpur, Post Office- Mahua Barae, Police Station- Udakishunganj, District- Madhepura, do hereby solemnly affirm and state as follows:-

1. That, I am petitioner in this case and as such am well acquainted with the facts and circumstances of the case.
2. That, the contents of this petition have been read over and explained to me in Hindi which I have understood the same. The statement made in paragraph nos. 1, 3, part 5-6 are true to my knowledge and those made in paragraph nos. 4, parts 5, 6 are derived from the records of the case and the rest are by way of submission of this Hon'ble Court.
3. That, the annexures True / Photo Copies of their respective originals.

-आदेश-

श्री उदयकांत झा, ग्राम पंचायत-नयानगर, ग्राम-सिंगारपुर के सार्वजनिक वितरण प्रणाली विक्रेता हैं इनके विरुद्ध ग्राम पंचायत-नयानगर के सम्बद्ध उपभोक्ताओं ने विक्रेता के विरुद्ध आरोप लगाया है कि माह जुलाई का खाद्यान्न आपूर्ति नहीं किया है। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा भ्रमण के क्रम में 31.08.2012 को विक्रेता के दूकान का औचक निरीक्षण किया गया परन्तु विक्रेता दूकान से अनुपस्थित होते गये, फलस्वरूप उपभोक्ताओं द्वारा समर्पित परिवाद की जाँच नहीं की जा सकी। इस संबंध में पत्रांक-3668-2, दिनांक-06.09.2012 द्वारा नियमित रूप से प्रति माह आवश्यक सामग्रियों का आपूर्ति नहीं करने के आलोक में मूल पंजियों के साथ स्पष्टीकरण माँग की गई, परन्तु सा0दि0प्र0विक्रेता भी द्वा द्वारा समय स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। पुनः अधोहस्ताक्षरी द्वारा 02.10.2012 को स्थलीय भ्रमण के क्रम में परिवादी उपभोक्ता जुबेदा खातून, मो0 हासीम, सफरुन खातून, खातून, युसूफ साह एवं गुलो मुखिया से पूछताछ की गयी जिन्होंने पूछताछ के क्रम में अपने-अपने कृपण की मूल प्रति के साथ ब्याज दिया कि श्री झा के द्वारा साल में एक बार अनाज की आपूर्ति किया गया है। किरासन तेल भी ट्वाबर आपूर्ति नहीं की जाती है जिसके आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक-3668-2, दिनांक-06.10.2012 द्वारा विक्रेता से सभी मूल पंजियों के साथ पुनः स्पष्टीकरण की माँग की गयी है, जिसके आलोक में श्री उदयकांत झा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा दिनांक-30.10.2012 स्पष्टीकरण समर्पित किया है। स्पष्टीकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विक्रेता द्वारा मनगढ़ंत, तथ्य से परे एवं भ्रमं स्पष्टीकरण समर्पित की है जो असंतोषप्रद है।

अतएव उपरोक्त वर्णित स्थिति में खाद्यान्न का उठव कर लाभार्थियों के बीच वितरण नहीं करना तथा नियमित खाद्यान्न नहीं उठव करना सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2011 में अंकित विभिन्न कंडिकाओं का स्पष्ट उल्लंघन है। अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब नियतित समय तक समर्पित नहीं करना एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2011 के संगत प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप में श्री उदयकांत झा, ग्राम पंचायत-नयानगर सार्वजनिक वितरण प्रणाली विक्रेता की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अनुज्ञापन संख्या-143/07 को तत्कालिक प्रभाव से रद्द किया जाता है।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

80  
अनुमंडल पदाधिकारी,  
उदाकिशुनगंज।

ज्ञापांक-3944-2 दिनांक-8-11-12

प्रतिलिपि- प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बिहारीगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- श्री उदयकांत झा, ग्राम पंचायत-नयानगर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- सहायक गोदाम प्रबंधक, रा0सा0नि0, विहारीगंज/थोक किरासन तेल विक्रेता, बिहारीगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुमंडल पदाधिकारी,  
उदाकिशुनगंज।

सेवा में,

अनुमण्डल कार्यालय,

उदा-विष्णुगंज ।

विषय :- आपीक- 3668- 2 दिनांक- 06.10.2012

अनुमण्डल कार्यालय, उदा-विष्णुगंज स्वयं-

आपीक- 3530-2 दिनांक- 24.09.2012

अनुमण्डल कार्यालय, उदा-विष्णुगंज

खाद्यान्न / किरासन तेल उठाव एवं वितरण में अनियमितता संबंधी स्पष्टीकरण के संबंध में ।

उदरगत आ सार्वजनिक वितरण प्रणाली साठ-सिंगा पुर, प्रखंड- उदा-विष्णुगंज, जिला- मथेपुरा की ओर से उपरोक्त विषय के संबंध में स्पष्टीकरण का खिल निवेदन निम्न प्रकार है :-

- 1] यह कि, मैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली कुलाम विक्रेता हूँ, जिसका अनुमति संख्या- 143 / 1990 है।
- 2] यह कि, मैं प्रत्येक माह किरासन तेल कूपन के अनुसार निर्धारित सरक सरकारी दर व निर्धारित आवंटन के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ताओं को निर्धारित दर पर देते चला आ रहा हूँ । जिनका कूपन नं०- विष्णु पंजी में अंकित कर कूपन उपभोक्ताओं से प्राप्त कर प्रखंड कार्यालय, उदा-विष्णुगंज में प्रत्येक माह जमा करता चला आ रहा हूँ। तदनुसार आगामी माह का किरासन तेल आवंटन होता है ।
- 3] यह कि, मैं प्रत्येक माह प्रति कूपन 2.75 लीटर तेल प्रत्येक उपभोक्ता को देते चला आ रहा हूँ। 2 1/2 डार्ड लीटर किरासन तेल मेरे द्वारा उपभोक्ताओं का आपूर्ति नहीं की जाती है ।
- 4] यह कि, मैं सरकारी निर्धारित दर पर किरासन तेल उपभोक्ताओं को देता हूँ। मेरे द्वारा निर्धारित सरकारी दर से अधिक कीमत लेकर उपभोक्ताओं को नहीं देता हूँ। अगर अधिक कीमत लेकर किरासन तेल देने की बात किसी उपभोक्ता के द्वारा उठाया गया है वो सरकर गलत शिकायत लगावती है।

§58 यह कि, 2012 के जून महीने का छांघान्न मेरे द्वारा उठाव नहीं कि किया गया है जिस कारण से मैं जून महीने का छांघान्न का वितरण उपभोक्ताओं को नहीं किया हूँ। माह जून में छांघान्न का उठाव नहीं करने का वजह मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी।

§61 यह कि, मैं 2012 के माह जुलाई, अगस्त, सितम्बर तक छांघान्न व विधिवत उठाव किया तथा उपभोक्ताओं के बीच छांघान्न का वितरण किया। 2012 के माह अगस्त व सितम्बर का विधिवत कूपन उपभोक्ताओं से प्राप्त कर छांघान्न का वितरण किया। जो कि कूपन मेरे दूकान के पंजी में प्राप्त है। जिसमें जुलाई माह का कुछ कूपन छांघान्न का प्राप्त है। कुछ अप्राप्त है।

§71 यह कि, श्रीमान् के द्वारा निर्गत स्पष्टीकरण नोटिफा नॉपांक- 3050-2 दिनांक- 24. 09. 2012 में मेरे द्वारा कुछ निजी मांशालिक कार्य में व्यस्तता के कारण मेरे द्वारा श्रीमान् को स्पष्टीकरण समय पर दायित्व न नहीं कर सके। जिसके लिए मैं श्रीमान् का क्षमा प्रार्थी

§81 यह कि, मैं 1990 ई0 से जनवितरण प्रणाली का दूकान चला कर अप परिवार का भरण-पोषण करता चला आ रहा हूँ। मेरे द्वारा जान बूझ कर किसी भी प्रकार का अनियमितता नहीं की गई है। ग्रामीण दलबंदी के वजह से तंग- परेशान करने की नियत से कुछ लोगों के द्वारा गुट बना करके तथा सम्बन्ध करके परिवाद पत्र मेरे विरुद्ध श्रीमान् के यहाँ दायर किया जो सरासर गलत एवं मिथ्या व तथा बनावटी है।

§91 यह कि, मेरे जनवितरण प्रणाली दूकान से संबंधित पंजी का कार्य वर्तमान में छांघान्न के वितरण के वजह से पंजी बाधित है। वितरण के बाद संबंधित पंजी श्रीमान् के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए आदेश बतार तैयार हूँ।

अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि उधर

3.

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के

आलोक में प्रार्थी अपना स्पष्टीकरण दायित्व कर  
ताहर अवरोध करता है ! जाने व अनजाने में जो भी

~~मुझसे मिलीतयों वृद्धि है उन गलतियों को मुझे आरोप~~  
से मुक्त करने की अतीव कृपा इच्छायी जाव ।

इस कृपा के लिए मैं सदा षिनित रहूंगा ।

आपका विश्वासी

उ. य. य. (र. व.)

पि. ए. दा. मो. य. म.

ग्राम - सिंगारपुर

पंजाब - नयापूर

प. म. + प. व. - 341 कि. म. द.

मि. - स. य. र. 1

अ. व. सि. सं. म. - 143/1990

दि 29/10/2012



1SE2008120163092

0163092

मधेपुरा

20

सितम्बर 12

10

श्री काशी

B

श्री काशी

श्री पी. एल. योजना

10

खान की मात्रा - 10 कि. ग्रा. गेहूँ

वितरण प्रणाली विक्रेता का नाम एवं अनुज्ञप्ति संख्या सहित मुहर

16/25

श्री. वि. विक्रेता



1AU2008120163184



1AU2008120163184

0163184

मधेपुरा

20

अगस्त 12

15

16/25

B

श्री काशी

श्री पी. ए. टी. योजना

15

खान की मात्रा - 15 कि. ग्रा. चावल

वितरण प्रणाली विक्रेता का नाम एवं अनुज्ञप्ति संख्या सहित मुहर

16/25

श्री. वि. विक्रेता



1AU2008120163094





1AU2008120163084


0163084

मधेपुरा  
20

अगस्त 12

Handwritten signature

Handwritten signature



1SE2008120163084

0163084

मधेपुरा  
20


सितम्बर 12

Handwritten signature

Handwritten signature

10

Handwritten signature  
(प्रधान सचिव)



1AU2008120163088

अहस्तान्तरणीय

श्री. पी. एल. योजना

कृषम क्र. सं. 0163088

जिला का नाम मधेपुरा

जिला कोड - 20

माह का नाम अगस्त 12

10

खद्यान की माता - 10 कि. ग्रा. गहं  
प्रणाली विक्रेता का नाम एवं अनुसूचित संख्या सहित मुहर



हस्ताक्षर  
नाम

Handwritten signature

हस्ताक्षर  
नाम

2571743

Handwritten signature  
(प्रधान सचिव)



1SE2008120163084

अहस्तान्तरणीय

श्री. पी. एल. योजना

कृषम क्र. सं. 0163084

जिला का नाम मधेपुरा

जिला कोड - 20

माह का नाम सितम्बर 12

15

खद्यान की माता - 15 कि. ग्रा. चावल  
प्रणाली विक्रेता का नाम एवं अनुसूचित संख्या सहित मुहर

हस्ताक्षर  
नाम

Handwritten signature

हस्ताक्षर  
नाम

2571743



1SE2008120163437

0163437

मधेपुरा

20

सितम्बर 12



विक्रय मूल्य ₹. 6.5-22 प्रतिविकला

जनशिक्षण प्रणाली विक्रेता का नाम एवं अनुज्ञापित संस्था साहित्य मुहर

अनुज्ञापित संस्था साहित्य मुहर

जी. पी. एल. योजना

प्रधान सचिव (अनुज्ञापित)



1SE2008120163437

जी. पी. एल. योजना

कृपण क्र. सं. 0163437

जिला का नाम मधेपुरा

ब्लॉक का नाम 20

ग्राम का नाम सितम्बर 12

विक्रय मूल्य ₹. 6-78 प्रतिविकला

15

जनशिक्षण प्रणाली विक्रेता का नाम एवं अनुज्ञापित संस्था साहित्य मुहर

अनुज्ञापित संस्था साहित्य मुहर

जी. पी. एल. योजना

(08/12/046242158)



1AU2008120163437

0163437

मधेपुरा

20

अगस्त 12

विक्रय मूल्य ₹. 6.5-22 प्रतिविकला

जनशिक्षण प्रणाली विक्रेता का नाम एवं अनुज्ञापित संस्था साहित्य मुहर

अनुज्ञापित संस्था साहित्य मुहर

जी. पी. एल. योजना

प्रधान सचिव (अनुज्ञापित)



1AU2008120163437

जी. पी. एल. योजना

कृपण क्र. सं. 0163437

जिला का नाम मधेपुरा

ब्लॉक का नाम 20

ग्राम का नाम अगस्त 12

विक्रय मूल्य ₹. 6-78 प्रतिविकला

15

जनशिक्षण प्रणाली विक्रेता का नाम एवं अनुज्ञापित संस्था साहित्य मुहर

अनुज्ञापित संस्था साहित्य मुहर

जी. पी. एल. योजना

2572337

(08/12/046242158)

विकास विभाग, आंध्रप्रदेश, गहरीबा, ...

बधेलुग.

विषय :- ... अग्रज ... बधेलुग ... अग्रज ... अग्रज ...

महाराज,

... विकास विभाग ... अग्रज ... अग्रज ... अग्रज ... अग्रज ... अग्रज ...

... अग्रज ... अग्रज ... अग्रज ... अग्रज ... अग्रज ...

आपका विश्वासु